




फर्द अहकाम

20/2/20

तीजा बनाम सीता

यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र 16/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25.01.2022	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया के अधिवक्ता सुश्री पुष्पा सैनी ने मय शपथ पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है जो दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रार्थी के वकील को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर अंतरिम पर सुना गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का एवं पत्रावली का अवलोकन करने एवं वकील प्रार्थीया को सुनने के पश्चात प्रकरण में अप्रार्थीगणों को सुने बिना एक पक्षीय स्थगन दिया जाना उचित प्रतीत नहीं है। अतः अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से करवायी जाकर पत्रावली दिनांक 25.02.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर </p> <p>25-01-22 पत्रावली पेश करने के बाद कोरे/अन्य कार्य में अंतरिम के प्रयोग का प्रार्थनाही नहीं की जा रही। प्रार्थना दिनांक 6-5-22 को पेश हो :</p> <p>5/2/22 पत्रावली सूबे वार्ड में थोड़ी सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश होने पर नम्बर पर ली गयी। प्रार्थीया को उपस्थित जिला प्रदेिवात वकील सी अम्बर (को ने की है) सूबे वार्ड के वार्डिया का प्रार्थना पत्र वार्ड विद्ने प्रीमा होकर दावा रवाजि हो गये है उम्ह प्रार्थना पत्र 79 को अन्ते पर लोपे भाने का कोई प्रोविड नही होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र 79 सादीत होने से खंदिन विप्रा जात है। पत्रावली नम्बर से वक्त होकर क उतसमील नरीबिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	<p>नोटिस जारी</p> <p><u>D.N</u></p> <p>845-852</p> <p>17/2/22</p> <p style="text-align: center;">  152 श्री पद्यान मनी 20/2/20 9828185600 </p>